



2026:AHC:37744

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट सी संख्या - 6528/2026

राम प्रसाद

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अदील अहमद खान

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. इस निर्णय में प्रस्तावित आदेश के परिप्रेक्ष्य में, विपक्षी को नोटिस देकर और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी इस आदेश से व्यथित होता/होती है तो उसका/उसके आदेश में संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रार्थना करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।

3. प्रस्तुत याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत, विपक्षी क्रमांक 2/अपर आयुक्त (प्रशासन), वाराणसी, मंडल वाराणसी को, अपील संख्या 06 सन् 2026 (कंप्यूटर केस संख्या 202614000000006 सन् 2026) **कैलाश एवं अन्य बनाम चंद्रभान एवं अन्य** में दिनांक 17.01.2026 के स्टे आवेदन का शीघ्रातिशीघ्र निर्णय करने हेतु निर्देशित करना है।

4. यह मामला विगत लंबे समय से निचली अदालत के समक्ष लंबित है और काफी समय बीत चुका है, किंतु अब तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, प्रस्तुत याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि विपक्षी क्रमांक 2/अपर आयुक्त (प्रशासन), वाराणसी, मंडल वाराणसी, उपरोक्त अपील में आवेदन का निर्णय विधि के अनुसार यथाशीघ्र, अधिमानतः निचली अदालत के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर, जब तक कोई विधिक बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना करें।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18 फरवरी , 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”